भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 82
दिनांक 19.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

मरूस्थलीय क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) मिशन लागू करना

82 श्री नीरज डांगी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मरूस्थलीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों के लिए "जल जीवन मिशन" (जेजेएम) को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की कोई विशेष कार्यनीति बनाने की मंशा है और क्या इसके अनुरूप सुमेलित अनुदान को संशोधित किया गया है, जिसके अंतर्गत मरूस्थलीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में जेजेएम के तहत विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार जेजेएम के लिए राज्य सरकारों को सुमेलित अनुदान देने के लिए कोविड-19 के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रख रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के जरिए पेयजल मुहैया कराने के लिए भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

इस मिशन के तहत जल गुणवत्ता-प्रभावी बसावटों, सूखा-ग्रस्त एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत गांवों, एससी/एसटी बहुल गांवों, आकांक्षी एवं जेई-एईएस प्रभावित जिलों और संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों को स्वच्छ नल जल आपूर्ति के लिए नल जल प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, दुर्गम क्षेत्रों के लिए 30% भारिता महत्व दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मरूस्थलीय एवं सूखा-ग्रस्त इलाकों के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं और एससी/एसटी बहुल गांवों में रहने वाली आबादी के लिए 10% भारिता महत्व दिया गया है जबकि निधि आबंटित करते समय इन क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग): ग्रामीण अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 में 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट प्रावधान किया गया है जो 2020-21 में 11 हजार करोड़ रुपए था। वर्तमान में, केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों को देखते हुए जल जीवन मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य के बीच बिना किसी विधायी व्यवस्था के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, विधायी व्यवस्था के साथ पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए 90:10 और शेष राज्यों के लिए 50:50 निधि हिस्सा पैटर्न शामिल हैं।

****